



२०१५ जिला परिषद चुनाव खर्च घोटाला

५ वर्ष बाद भी दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई, जांच रिपोर्ट का हुआ था ऑडिट, प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद

नवीन अग्रवाल - गोंदिया जिला परिषद व पंचायत समिति के २०१५ में हुए आम चुनाव में जिले की ८ तहसीलों के तहसीलदारों द्वारा चुनावी खर्च में नियमबाह्य भुगतान कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट वर्ष २०१७ में प्रशासन को सौंपी गई थी। जिसका ऑडिट हुए ५ वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अब तक संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होने से प्रशासन की भूमिका पर प्रश्नचिह्न निर्माण हो रहा है।

गौरतलब है कि गोंदिया जिले की जिला परिषद व पंचायत समिति के वर्ष २०१५ में हुए आम चुनाव में चुनावी खर्च में भारी घोटाला सामने आया था। जिसमें तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी व जिले की ८ तहसीलों के तहसीलदारों द्वारा बड़े पैमाने पर नियमबाह्य भुगतान कर शासन की तिजोरी पर करोड़ों रुपए का चुनावी खर्च घोटाले का प्रकरण सामने आने पर इसके लिए जांच समिति नियुक्त की गई थी। जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में सभी तहसीलदारों द्वारा बड़े पैमाने पर गलत तरीके से वाहन किराया, पेट्रोल-डीजल बिल, डेकोरेशन, स्टेशनरी, झेरॉक्स व अन्य सामग्री की खरीदी में बड़े पैमाने पर अनियमितता कर शासन द्वारा तय दरों से लाखों रुपए का अधिक भुगतान किया गया था। साथ ही संबंधित ठेकेदारों को भुगतान किए जाने पर शासन के नियमानुसार इनकम टैक्स की कटौती भी नहीं की गई थी। इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा पेश की गई

रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कर अतिरिक्त भुगतान को वसूल करने की मांग भी की थी।

उपरोक्त जांच रिपोर्ट का प्रशासन द्वारा ऑडिट भी करवाया गया था। जिसमें भी उपरोक्त घोटाला सामने आया था। लेकिन ५ वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने से इस पर गंभीर प्रश्न निर्माण हो रहा है। इससे चर्चा आम है कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावी खर्च के घोटाले में सभी का बराबर हिस्सा होता है, जिसके चलते दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

वाहन किराया घोटाला

जिला परिषद चुनाव २०१५ के लिए लगने वाले निजी वाहनों की मंजूरी जिला अधिकारी द्वारा २६ जून २०१५ को दी थी। जिसमें शासन के तय नियमों के अनुसार वाहन डीजल-पेट्रोल सहित दर निश्चित की गई थी। किंतु तत्कालीन कार्यरत अधिकारियों द्वारा पेट्रोल-डीजल का अतिरिक्त बिल कार्यालय से निकाला गया था। इसके साथ ही चुनाव के दौरान एयर कंडीशन वाहनों की मंजूरी न होने के बावजूद एयर कंडीशन वाहनों का किराया



वर्ष २०१८ के बजट अधिवेशन में उठा था मामला

गोंदिया जिला परिषद चुनाव २०१५ में चुनावी खर्च घोटाले का मामला महाराष्ट्र राज्य के वर्ष २०१८ के बजट अधिवेशन के दौरान भिवंडी ग्रामीण के विधायक शांताराम मोरे द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। जिस पर जिला प्रशासन से अहवाल मांगा गया था। लेकिन सदन में उपरोक्त मामला उठने के बावजूद भी अब तक जिले की ८ तहसीलों के तत्कालीन तहसीलदारों व चुनाव निर्वाचन अधिकारी पर कार्यवाही नहीं हो पाई है।

बिल में जोड़कर शासन से वसूला गया।

मंडप किराया में गड़बड़ी

चुनावी कार्य के दौरान तहसील कार्यालय व संबंधित कार्यालय परिसर में सीमित दिनों के लिए मंडप लगाया जाता है। किंतु उपरोक्त बिलों में अधिक दिनों तक मंडप लगाए जाने व क्षमता से अधिक बड़ा मंडप दर्शाकर बड़े पैमाने पर बिल निकाला गया है। जबकि कुछ स्थानों पर बड़े मंडप या कुछ स्थानों पर मंडप की आवश्यकता न होने के बावजूद भी बिल जोड़ा

गया था।

स्टेशनरी व अन्य साहित्य घोटाला

अनेक स्थानों पर चुनाव के दौरान लगने वाली स्टेशनरी व अन्य साहित्य शासन की दर से अधिक कीमत पर खरीदी की गई है। जिसमें झेरॉक्स, स्टेपलर, पेपर आदि के बिलों का भुगतान उनकी निर्धारित कीमत से ४-५ गुना अधिक दर से किया गया था।

अब नहीं हुई कार्रवाई

गोंदिया जिला परिषद व पंचायत समिति के २०१५ के सार्वजनिक चुनाव के दौरान चुनावी खर्च में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया था। जिस पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। अब २०२१ में जिला परिषद व पंचायत समिति के आम चुनाव होने वाले हैं, तो क्या चुनाव के पश्चात ही कार्रवाई होगी या मामला पूरी तरह दबा दिया जाएगा। इस पर भी सवालिया निशान निर्माण हो रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई न होने से जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली संदेहास्पद बनी हुई है।

मनसे ने की थी कार्रवाई की मांग

चुनावी घोटाले के संदर्भ में गोंदिया जिला मनसे उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा द्वारा भी प्रशासन को अनेकों बार पत्र देकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गयी थी।

जिप की ४३ सीटों के लिए ३७० व पंस की ८६ सीटों के लिए ५०६ नामांकन वैध

गोंदिया जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव के लिए ६ दिसंबर तक उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पेश किए गए थे। ७ दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच चुनाव विभाग द्वारा की गई। लेकिन इस दौरान ही उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिला परिषद व पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ओबीसी प्रवर्ग की सीटों के चुनाव को स्थगित किया गया। जिससे जिले की ५३ जिप की सीटों में से १० सीटें जो ओबीसी महिला व पुरुष प्रवर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, जिसमें आमगांव तहसील के घाटटेमनी, किकरीपार, गोरेगांव के निंबा, तिरोडा के ठानेगांव, सड़क अर्जुनी के पांढरी तथा अर्जुनी मोरगांव तहसील के बोंडगांवदेवी, माहूरकूड़ा, ईटखेड़ा, महागांव व केशोरी के चुनाव स्थगित किए गए। शेष ४३ सीटों के लिए ४०० आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसकी जांच के पश्चात ३० आवेदन रद्द हुए। वहीं पंचायत समिति की १०६ सीटों में से २० सीटें जो ओबीसी प्रवर्ग की महिला व पुरुष के लिए आरक्षित थीं के चुनाव स्थगित होने से शेष ८६ सीटों के लिए प्राप्त ५२० आवेदनों की जांच पश्चात १४ आवेदन रद्द हुए। १३ दिसंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है।

बिजली नहीं तो वोट नहीं

जिला परिषद - पंचायत समिति चुनाव पर बहिष्कार सोनी जिप क्षेत्र के सर्वदलीय कार्यकर्ताओं ने लिया निर्णय



बुलंद संवाददाता गोरेगांव - २१ दिसंबर को होने जा रहे जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव पर जिला परिषद सोनी के सभी दलों के कार्यकर्ता एवं किसानों ने एक मत से निर्णय लिया है कि किसानों को २४ घंटे बिजली नहीं तो वोट भी नहीं। इस तरह का निर्णय लेकर सोनी जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव का बहिष्कार किया है। अब देखना है कि चुनाव का बहिष्कार कितना असर करता है, या सर्वदलीय कार्यकर्ताओं की चेतावनी बेअसर रहती है।

गौरतलब है कि गोंदिया जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग ने घोषित करते हुए चुनाव कार्यक्रम जाहिर किया है कि जिप व पंचायत समिति के लिए २१ दिसंबर को मतदान व २२ दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव की घोषणा होते ही सांसद, विधायक, नेता एवं इच्छुक उम्मीदवार सक्रीय होकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी बीच गोरेगांव तहसील के सोनी जिला परिषद क्षेत्र के सर्वदलीय कार्यकर्ताओं ने जिप, पंस के चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना है कि राजनीतिक नेता चुनाव के समय में घोषणा कर चुनाव जितने के बाद धोकेबाज हो जाते हैं।

बताया गया है कि, सोनी जिला परिषद की सिट सर्वसाधारण के लिए आरक्षित है। सर्वदलीय नेताओं का कहना है कि, किसानों

को मात्र ८ घंटे बिजली दी जा रही है। २४ घंटे बिजली देने की मांग है, डिमांड भरने के बाद भी महावितरण द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है। बकाया विद्युत बिल माफ किया जाए। जिन किसानों ने कृषि पंप के लिए आवेदन किया है, उन्हें तत्काल कनेक्शन दिया जाए। मध्यप्रदेश शासन की तर्ज पर किसानों को ६ हजार रुपये वार्षिक मानधन दिया जाए, आदि मांगों का समावेश है। जिन कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार किया है। उपरोक्त सभी मांगें चुनाव के दौरान पूरी करने की नेताओं द्वारा घोषणा करते हैं।

लेकिन आश्वासनों की पुर्तता नहीं करते। यहीं एक कारण है कि किसानों की आर्थिक हालत कमजोर होते जा रही है। बिजली नहीं तो वोट नहीं इस तरह का निर्णय लेते हुए चुनाव का बहिष्कार किया गया है।

बहिष्कार करनेवालों में सोनी भाजपा बूथ प्रमुख अजित चौहान, सोनी शिवसेना शाखा प्रमुख काशीराम पटले, सोनी भाजपा अध्यक्ष कैलाश खिसेन, राष्ट्रवादी के होपचंद पटले, सोनी कांग्रेस अध्यक्ष मेघश्याम पटले, भाजपा तहसील उपाध्यक्ष भोजू पटले, राष्ट्रवादी के चंद्रशेखर फुंडे, कांग्रेस के दिवाकर भगत, शिवसेना के लोकचंद पटले, पूर्व विमूस अध्यक्ष संदिप पटले, डॉ. नारायण पटले, कलमेश पटले, नारायण बघेले, अश्विनी पटले इन सर्वदलीय कार्यकर्ताओं का समावेश है।

सालेकसा तहसीलदार के निवास की बद्दहाल स्थिति बना मवेशियों का कोठा

बुलंद संवाददाता सालेकसा - राजस्व विभाग के नियमानुसार वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यालय स्थान पर ही रहना आवश्यक होता है। किंतु सालेकसा के तहसीलदार मुख्यालय में निवास नहीं करने के चलते उनके निवास की स्थिति बद्दहाल स्थिति में होने के साथ ही मवेशियों का कोठा बन चुका है। गौरतलब है कि राजस्व विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की निधि खर्च कर शासन और प्रशासन के माध्यम से सामान्य नागरिकों के कार्य करने हेतु अधिकारियों को मुख्यालय में रहने का शासनादेश है। किंतु सालेकसा के तहसीलदार मुख्यालय में न रहने के चलते उनके निवास स्थान की स्थिति बद्दहाल हो चुकी है तथा व मवेशियों के कोठे से भी बदतर हो चुका है। उल्लेखनीय है कि गत २० वर्षों से तहसीलदार के निवास के समीप खटारा बंद हो चुका शासकीय वाहन पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक बांधकाम विभाग सालेकसा के माध्यम से तहसीलदार के निवास स्थान के पीछे नई इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। किंतु वह भी घटिया दर्जे का होता दिखाई दे रहा है इस और तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जा रही है। विशेष यह है कि इस सुधार कार्य के लिए ३ लाख की राशि मंजूर की गई है। लेकिन ठेकेदार बांधकाम विभाग के अधिकारियों की



आपसी सांठगांठ के चलते घटिया काम किया जा रहा है। यदि तहसीलदार के निवास स्थान की ही इस प्रकार की स्थिति होगी तो अन्य शासकीय कार्यालय की क्या अवस्था होगी इस पर भी नागरिकों द्वारा प्रश्न चिन्ह निर्माण किया जा रहा है। तहसील के नागरिकों द्वारा मांग की गई है कि उपरोक्त निवास में तहसीलदार निवास करें तथा साफ सफाई कर व्यवस्थित रखने के साथ ही इमारत के निर्माण कार्य की जांच की जाए।

पुजारीटोला प्रकल्पग्रस्तों को १२ वर्षों से नहीं मिला मुआवजा

पत्र परिषद में प्रकल्पग्रस्तों ने किया आक्रोश व्यक्त

बुलंद संवाददाता दरेकसा - गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटरा में १२ वर्षों पूर्व पुजारीटोला बांध का निर्माण किया गया था। जिसमें करीब ११४ किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की गई थी किंतु जलसंधारण विभाग, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार की दुर्लक्षता पूर्ण कार्यप्रणाली के चलते अब तक प्रकल्पग्रस्तों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस मामले में सालेकसा पंचायत समिति के सभागृह में आयोजित पत्र परिषद में प्रकल्पग्रस्तों द्वारा प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त किया है। गौरतलब है कि सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटरा में देवछाया उपसा जल सिंचन योजना के अंतर्गत पुजारी टोला बांध का निर्माण किया गया था। जिसमें सैकड़ों किसानों की कृषि योग्य भूमि शासन द्वारा ली गई किंतु अब तक बांध में डूबी कृषि भूमि के पैसे प्रकल्पग्रस्तों को शासन द्वारा नहीं दिए जाने के चलते उन पर भुखमरी का संकट निर्माण हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में जलसंधारण विभाग के अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार के कार्यालय के चक्कर लगाते हुए १२ वर्ष



किसानों को हो चुके हैं। किंतु किसी भी अधिकारी द्वारा समाधान कारक जवाब किसानों को नहीं दिया जा रहा है। तथा सभी प्रकल्पग्रस्त की फाइल पर धूल जमा हो गई है। गत २ वर्षों पूर्व शासन द्वारा १ करोड़ १४ लाख रुपए मंजूर किए थे। किंतु अब तक उपरोक्त राशि किसानों के बैंक खातों में जमा नहीं की गई है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी दुर्लक्ष किए जाने का आरोप कोटरा के ११४ किसानों द्वारा पत्र परिषद में लगाते हुए रोष व्यक्त किया तथा चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द से जल्द संबंधित विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। आयोजित पत्र परिषद में आत्माराम भेडारकर, दुलीचंद सेंडे, श्रीराम धनबाते, हरीचंद्र डोये, देवराज हत्तीमारे, धनीराम धकाते सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

मार्ग का सर्वे कर रहे कर्मचारी की विद्युत करंट से मौत

बुलंद गोंदिया - गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पांगोली नदी के किनारे पर स्थित शिव मंदिर के समीप मार्ग का सर्वे के दौरान अदासी निवासी कर्मचारी अजय सुनील रामटेके उम्र २३ वर्ष की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय उपरोक्त स्थान पर मार्ग का सर्वे करते समय एलुमिनियम का पाइप दिखाने के दौरान पाइप का सिरा ऊपर से जा रही विद्युत लाइन के तारों से टकराने पर जबरदस्त विद्युत करंट लग गया

जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिसे उपचार के लिए गोंदिया के सहयोग हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया जहां चिकित्सक द्वारा जांच कर उसे मृत घोषित किया। उपरोक्त मामले में फरियादी अदासी निवासी पृथ्वीराज शिवनकर एवं चिकित्सा अहवाल के आधार पर गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने में आकस्मिक मौत धारा १७४ के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पोना मरसकोल्हे द्वारा की जा रही है।

संपादकिय

ओमीक्रोन की चुनौती

घबराहट में उड़ाए सख्त कदम नुकसान करेंगे

पूरी तरह वैक्सिनेशन के दायरे में आ चुके लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, इससे यह तो लगता है कि नया वेरिएंट टीकों के कवच को भेद सकता है, लेकिन इसे भेद कर शरीर तक पहुंचने के बाद इसकी कितनी ताकत बची रहती है और यह शरीर को वास्तव में कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसे लेकर कोई स्टडी अभी नहीं हुई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का दुनिया के कई देशों में फैलाव पहले से ही चिंता का कारण बना हुआ था, लेकिन भारत में भी इसके कुछ मामले मिलने के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। गौर करने की बात है कि अभी भी वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना जरूर है कि यह अब तक के तमाम वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। इसलिए जिस तीसरी लहर के खतरे को टल गया माना जा रहा था, वह वास्तविक रूप लेकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। मगर अभी यह पता नहीं है कि अपने नए रूप में यह वायरस कितना घातक है।

पूरी तरह वैक्सिनेशन के दायरे में आ चुके लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, इससे यह तो लगता है कि नया वेरिएंट टीकों के कवच को भेद सकता है, लेकिन इसे भेद कर शरीर तक पहुंचने के बाद इसकी कितनी ताकत बची रहती है और यह शरीर को वास्तव में कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसे लेकर कोई स्टडी अभी नहीं हुई है। आरंभिक मामलों में हलके लक्षण ही बताए जा रहे हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से आशंकाएं पालने या अफवाहों के पचड़े में पड़ने से बेहतर है एक्सपर्ट्स की राय का इंतजार किया जाए। इस दौरान सावधानी तो पूरी बरती जानी चाहिए, लेकिन घबराहट में आकर फैसले लेने से बचना होगा।

उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर लगाई गई अतिरिक्त पाबंदी यों तो केंद्र के दखल के बाद वापस ले ली गई है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही सही इसने अनिश्चितता तो पैदा की। इससे बचा जाना चाहिए था। भूलना नहीं चाहिए कि हमारे सामने दोहरी चुनौती है। महामारी की तीसरी लहर से तो हमें बचना ही है, बड़ी मुश्किलों के बाद खड़ी हुई अर्थव्यवस्था को भी संभाले रखना है। साल की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की अवधि में जीडीपी के आंकड़े २०१९ के उसी अवधि में दर्ज बढ़ोतरी दर को पार जरूर कर गए हैं, लेकिन अगर निजी खपत की ओर उन सेक्टरों की बात करें जिनमें प्रत्यक्ष संपर्क की जरूरत होती है, मिसाल के तौर पर ट्रेड और होटल की तो वहां ग्रोथ अभी भी महामारी से पहले यानी २०१९ के स्तर से नीचे है। यानी इन सेक्टरों के दो साल पूरी तरह धुल-पुछ चुके हैं।

साफ है कि हमें रस्सी पर संतुलन बनाए रखते हुए चलने का मुश्किल काम करना है। न तो किसी तरह की असावधानी की गुंजाइश छोड़ सकते हैं और न ही अनावश्यक सख्ती की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा अहम हो जाता है आम नागरिकों का सहयोग। अगर लोग अपने स्तर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें तो आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत जाते हैं।

मानवाधिकार दिवस



मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष १० दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है।

मानवाधिकार (Human rights) वे नैतिक सिद्धान्त हैं जो मानव व्यवहार से सम्बन्धित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। ये मानवाधिकार स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। ये अधिकार प्रायः ऐसे आधारभूत अधिकार हैं जिन्हें प्रायः न छीने जाने योग्य माना जाता है और यह भी माना जाता है कि ये अधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं। व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म, आदि का इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये अधिकार सदा और सर्वत्र देय हैं तथा सबके लिए समान हैं।

इतिहास

अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं बाद के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में ऐसी अनेक अवधारणाएं हैं जिन्हें मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे प्रलेखों में उल्लेखनीय हैं अशोक के आदेश पत्र, मुहम्मद (saw) द्वारा निर्मित मदीना का संविधान (meesak-e-madeena) आदि।

आधुनिक मानवाधिकार कानून तथा मानवाधिकार की अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं समसामयिक इतिहास से संबंध हैं। द ट्वेल्थ आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट (१९२५) को यूरोप में मानवाधिकारों का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। यह जर्मनी के किसान - विद्रोह (Peasants' War) स्वाबियन संघ के समक्ष उठाई गई किसानों की मांग का ही एक हिस्सा है। ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स ने युनाइटेड किंगडम में सिलसिलेवार तरीके से सरकारी दमनकारी कार्रवाइयों को अवैध करार दिया। १७७६ में संयुक्त राज्य में और १७८९ में फ्रांस में १८ वीं शताब्दी के दौरान दो प्रमुख क्रांतियां घटीं। जिसके फलस्वरूप क्रमशः संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा एवं फ्रांसीसी मनुष्य की मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का अभिग्रहण हुआ। इन दोनों क्रांतियों ने ही कुछ निश्चित कानूनी अधिकार की स्थापना की।

मानवाधिकारों को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है। ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में मानवाधिकारों की सार्थकता है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का परिदृश्य तमाम तरह की विसंगतियों और विद्रूपताओं से भरा पड़ा है। किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है।

आज की बात

इस पीड़ा का दोषी कौन..?

दुख और सुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। कोई व्यक्ति हद से ज्यादा सुखी है तो किसी की पीड़ा का कोई अंत ही नहीं है। इस संसार में दो प्रकार के पीड़ित लोग हमें दिखाई देते हैं, एक वो हैं जो हालातों के आगे मजबूर हैं तो दूसरे उस श्रेणी में आते हैं जिन्हें जानबूझकर और सोच-समझकर पीड़ा दी जाती है। अब हमारे मन में एक विचार अवश्य आया कि आखिर इस पीड़ा का अथवा इस दुख या इस प्रकार की मिलने वाली पीड़ा का दोषी कौन होता है ? तो आइए हम सभी मिलकर आज के इस अनोखे विचार पर चर्चा करें और यह जानने का प्रयास करें कि अनजानी अवस्था या परिस्थिति वश आने वाली पीड़ा अधिक दुख देती है या सोच-समझकर दी जाने वाली पीड़ा अधिक कष्टदाई होती है?

आज हम सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। सुखी मनुष्य तो सोशल मीडिया पर तरह-तरह के स्लोगन बनाकर पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति को दुखी न होने का ज्ञान और उपदेश बहुत ही सरलता से दे देते हैं, परंतु वास्तविक रूप से पीड़ा क्या होती है? या उस पीड़ा का कैसा कड़वा अनुभव हुआ है यह तो कोई पीड़ित व्यक्ति ही भली-भांति समझ सकता है। सोशल मीडिया पर किसी को भी उपदेश देना सरल होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति विशेष तक अपनी बात पहुंचानी हो तो लोग स्टेटस आदि के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक ज्ञानवान व्यक्ति की तरह उपदेश देना शुरू कर देते हैं। किसी को भी ज्ञान देना तो बहुत सरल है क्योंकि इनका कोई तर्क-वितर्क नहीं होता। इसके अलावा लोग किसी पर कटाक्ष करने के लिए भी अलग-अलग स्लोगन का उपयोग करके अपने मन की भड़ास तो निकाल लेते हैं पर कोई भी व्यक्ति यह विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि सोशल मीडिया पर किए जाने वाले इस प्रकार के कटाक्ष या उपदेश का कोई अर्थ है भी या नहीं ? कौन इन बातों को आत्मसात करता है ? हां, यह बात निश्चित है कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा इस प्रकार के कटाक्ष वाली बातों से बढ़ अवश्य जाती है।

हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की पीड़ा के लिए वही व्यक्ति दोषी होता है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है। पीड़ा देने वाले व्यक्ति स्वयं कभी भी शांत होकर नहीं बैठते हैं, बल्कि वे तो पीड़ित व्यक्ति के जीवन की पल-पल की खबर रखते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी

पीड़ा को दरकिनार करते हुए उस दुख को भूलने की कोशिश भी करता है तो उसकी पीड़ित अवस्था को एक घाव के समान कुरेद कर फिर से हरा किये जाने की हर संभव केशिश होने लगती है और पीड़ा को भूल कर सामान्य जीवन जीने के लिए अगसर उस व्यक्ति को पुनः उसकी पीड़ा का अहसास करवाया जाता है।

आज के विचार का स्पष्ट अर्थ यह है कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा के लिए कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य जिम्मेदार होता है जो कभी किसी को प्रसन्नतावस्था में नहीं देख सकता, ऐसे व्यक्ति हमारे अपने ही होते हैं। उनको भली-भांति ज्ञात होता है कि सामने वाले की कौन सी दुखती रंग को छेड़कर उसे और पीड़ित किया जा सकता है। ऐसे लोगों की सोच एक सीमित दायरे में याने की सिर्फ पीड़ा पहुंचाने तक ही सीमित रहती है।

पुराणों में ऐसे व्यक्तियों को शकुनि या राक्षसी प्रवृत्ति का समझा गया है, पर आज के इस आधुनिक युग में ऐसे ही शतरंज के खिलाड़ियों की जय-जयकार है, क्योंकि ऐसे विशेष लोग अपने आस-पास अपनेपन के भ्रमजाल वाला आवरण अपने चारों तरफ बिखेर कर रखते हैं।

शायद ऐसे अपने लोगों के लिए ही पुराने समय का फिल्मी गीत नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे लिखा गया था। नकली चेहरा तो सामने रहता है पर ऐसे लोगों का जब असली चेहरा समाज के सामने आता है तो वे सिर्फ घृणा का पात्र बनकर ही रह जाते हैं।

अब यदि बात की जाए नकली चेहरे को सामने रखकर अपना हित साधने वाले लोगों की, तो ऐसे लोग कोई मुखौटा लगाकर नहीं घूमते हैं। ऐसे लोगों की एक ही आदत होती है, तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसा और हमारे सामने हमारे जैसा होकर रहना ही इनकी प्रवृत्ति में शामिल होता है।

शायद इन्हें आदतों के कारण ऐसे व्यक्तियों की पहचान आसानी से नहीं की जा सकती है। इन लोगों को हम दो धारी वाली तलवार (छुरी) भी कह सकते हैं। ये लोग अपनेपन की आड़ में हर क्षण निरंतर पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इन्हें संबंधित व्यक्ति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी तो होती ही है, इसलिए ऐसे लोगों को पीठ में पीछे से आघात करने के लिए विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बस

मौका देखकर वार कर ही देते हैं।

अंत में साथियों मैं ऐसे व्यक्तियों से एक ही अनुरोध करना चाहूँगी कि कम से कम अपने रिश्तों में

तमन्ना मतलानी

गोंदिया (महाराष्ट्र)

शतरंज की चाल न चलें, क्योंकि ऐसी चाल से मिलने वाली पीड़ा का अहसास केवल पीड़ा का सामना करने वाला ही कर सकता है। पीड़ा कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं है जो वक्त के साथ पिघल जाएगा, पीड़ा तो लोहे का वह टुकड़ा है जो शरीर की हड्डियों को भी गला देता है।

प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा समय अवश्य आता है ईश्वर न करे यदि किसी निर्दोष को पीड़ा देते-देते उस व्यक्ति की सहनशक्ति समाप्त हो जाए और वह व्यक्ति पलट कर जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा तो शायद पीड़ा देने वाले व्यक्ति को भागने के लिए यह दुनिया भी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है कि भगवान की लाठी से डरो क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती और कोई भी दोषी इस लाठी के कहर से बच नहीं सकता।

अतः आइए हम सभी वक्त रहते किसी को भी पीड़ा पहुंचाने वाली प्रवृत्ति रखने वाले लोगों की पहचान करें और उनसे सावधान रहें अन्यथा ऐसे लोग हमारा अस्तित्व खतम करने में एक पल की भी देर नहीं करेंगे...

१९ दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराए - जिलाधिकारी गुंडे

बुलंद गोंदिया - भारत निर्वाचन आयोग के १ दिसंबर २०२१ के पत्र के अनुसार १ जनवरी २०२२ इस अहर्ता दिनांक पर आधारित मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दावे व आक्षेप स्वीकारने का सुधारित समय अवधि १ नवंबर से ५ दिसंबर २०२१ तक की गई है। तथा ५ जनवरी २०२२ को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। १८ से २१ आयु वर्ग के व्यक्तियों द्वारा मतदाता सूची में नाम समाविष्ट करें व मतदाता सूची में मतदाता नाम में सुधार, स्थानांतरण व मतदाता सूची संबंधित अन्य आवश्यक सुधारित कार्यक्रम समय अवधि के अनुसार नागरिकों के लिए ५ दिसंबर २०२१ तक अवसर उपलब्ध कराया गया है। तथा नए मतदाता होने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएँ ऐसा आवाहन जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी नयना गुंडे द्वारा किया गया है।

ओशो (मूल नाम रजनीश) (जन्मतः चंद्र

मोहन जैन, ११ दिसम्बर १९३१ - १९ जनवरी १९९०), जिन्हें क्रमशः भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता-नेता थे। अपने संपूर्ण जीवनकाल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रुढ़िवादिते के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउपर विवादित ही रहे। १९६० के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे समाजवाद, महात्मा गाँधी, और हिंदू धार्मिक रुढ़िवाद के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज्यादा खुले रवैया की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे, हालाँकि बाद में उनका यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया।

चन्द्र मोहन जैन का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुच्वाड़ा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई धारणाएँ हैं। एक मान्यता के अनुसार, खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। शब्द ओशनिक अनुभव का वर्णन करता है, वे कहते हैं, लेकिन अनुभवकर्ता के बारे में क्या? इसके लिए हम ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात्, ओशो मतलब-सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। १९६० के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से एवं १९७०-८० के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और १९८९ के समय से ओशो के नाम से जाने गये। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे, तथा भारत व विदेशों में जाकर उन्होंने प्रवचन दिये।

रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुम्बई में शुरू किया, जिसके बाद, उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचारविधान पेश किये जाते थे। तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को ऑरगन, अमरीका में स्थानांतरण कर लिया। १९८५ में एक खाद्य सम्बंधित दुर्घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया और २१ अन्य देशों से टुकुराया जाने के बाद वे वापस भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताये।

उनकी मृत्यु के बाद, उनके आश्रम, ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट को जूरिक आधारित ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन चलाती है, जिसकी लोकप्रियता उनके निधन के बाद से अधिक बढ़ गयी है।


बचपन एवं किशोरावस्था

ओशो का मूल नाम चन्द्र मोहन जैन था। वे अपने पिता की ग्यारह संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म

ओशो : रजनीश

मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले कुच्वाड़ा ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो कि तैरापंथी दिगंबर जैन थे, ने उन्हें अपने ननिहाल में ७ वर्ष की उम्र तक रखा था। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रुढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। जब वे ७ वर्ष के थे तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाडरवारा अपने माता पिता के साथ रहने चले गए।

रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे,



11 DEC

वे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढा करते थे। विद्यार्थी काल में रजनीश बगवती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे, जिसे परंपरागत तरीके नहीं भाते थे। किशोरावस्था तक आते-आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने ने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। किशोरावस्था में वे आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे।

जीवनकाल

वर्ष १९५७ में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से जुड़े। लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं और जीवनयापन करने के तरीके को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका स्थानांतरण कर

दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में जबलपुर विश्वविद्यालय में शामिल हुए। इस दौरान भारत के कोने-कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिया। अब तक वह आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे।

वे दर्शनशास्त्र के अध्यापक थे। उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई अलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया।

१९७० में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास में दीक्षित किया और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। उनके विचारों के अनुसार, अपनी देशनाओं में वे सम्पूर्ण विश्व के रहस्यवादियों, दार्शनिकों और धार्मिक विचारधारों को नवीन अर्थ दिया करते थे। १९७४ में पुणे आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की। जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसे आज ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के बाद १९८० में ओशो अमेरिका चले गए और वहां ओरेगॉन, संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम् की स्थापना की। १९८५ में इस आश्रम में सामुहिक फूड पॉइज़निंग की घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया।

मृत्यु

ओशो की मृत्यु १९ जनवरी १९९० को, ५८ वर्ष की आयु में पुणे, भारत के आश्रम में हुई। मौत का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना था, लेकिन उनके कर्म्यून द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी जेलों में कथित जहर देने के बाद शरीर में रहना नरक बन गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी राख को पुणे के आश्रम में लाओ त्जु हाउस में उनके नवनिर्मित बेडरूम में रखा गया था। ओशो की समाधि पर स्मृतिलेख है, न जन्में न मरे - सिर्फ ११ दिसंबर, १९३१ और १९ जनवरी, १९९० के बीच इस ग्रह पृथ्वी का दौरा किया।

ओशो की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और जनवरी २०१९ में द किक्ट के एक लेख में कुछ प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे- क्या ओशो की हत्या पैसे के लिए की गई थी? क्या उनकी वसीयत नकली है? क्या विदेशी भारत के खजाने को लूट रहे हैं?

जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरजा इसलिये हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए।

बाजपाई वार्ड में शहर का कचरा डाले जाने पर रोक की मांग

पार्षद खरोले व तहसिम शाह ने पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल को दिया ज्ञापन



बुलंद गोंदिया - गोंदिया नगर परिषद के डंपिंग यार्ड की समस्या गंभीर होती दिखाई दे रही है। इसके पूर्व शहर का प्रतिदिन उठाए जाने वाला कचरा गणेश नगर मोक्षधाम के समीप फेंका जा रहा था। उपरोक्त कचरे के ढेर में आज लगने से हुए विरोध के पश्चात नगर परिषद द्वारा गौतम नगर बाजपाई वार्ड परिसर में कचरा डाला जा रहा था। जिसका स्थानीय नागरिकों द्वारा विरोध शुरु किया गया है। इसको लेकर बाजपाई वार्ड की भाजपा पार्षद वर्षा खरोले व भाजप विद्यार्थी मोर्चा के महासचिव तहसीम शेख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंप गौतम नगर बाजपाई वार्ड में नगर परिषद द्वारा फेंके जा रहे कचरे पर रोक लगाने की मांग की। जिस पर पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को उचित बताते हुए तत्काल इस संदर्भ में जिलाधिकारी से फोन पर चर्चा कर गौतम नगर बाजपाई वार्ड परिसर में पूरे शहर का कचरा डाले जाने से क्षेत्र के नागरिकों के साथ अन्याय होना बताया। जिलाधिकारी से चर्चा के दौरान जानकारी दी गई कि उपरोक्त क्षेत्र में घनी आबादी छोटे-छोटे मकानों में रहती है तथा वर्तमान में कोरोना संक्रमण व आगामी समय में तीसरी लहर के चलते कचरे से संक्रमण फैलने की आशंका है और आबादी के घनत्व के चलते गौतम नगर में तेज गति से संक्रमण फैल सकता है। अतः शहर के कचरे की व्यवस्था आबादी से दूर किया जाना चाहिए जिलाधिकारी द्वारा इस संदर्भ में जल्द ही कार्रवाई के निर्देश मुख्य अधिकारी करण चौहान को दिए। उपरोक्त ज्ञापन देते प्रतिनिधि मंडल में पार्षद वर्षा खरोले, तहसीम शाह अफजल शाह, नसीन शाह, पूर्व पार्षद सुधीर कायरकर, राजेश फाये, श्री राम, घनश्याम फंदी, रामेश्वर मस्क्रे, पंकज उपवंशी, छबीलाल चित्रीव, नीलू मेथ्राम, मुकेश फरकुंडे, सुरेश उरकुंडे, शिवपाल नागपुरे, मानिक बेहरे, फिरोज शेख, वामन निमाड़े, हेमंत रुद्रकार, किशोर ठाकुर, राजेश मोरघड़े, हीरालाल शर्मा, सुमित कायरकर, योगेश मोहनकर, लक्ष्मण नागपुरे, डॉ. एन के चुटे, वत्सला बाई, सरिता बर्वे, सीमा अहिरकर, ममता भोरजारे, करुणा पटान, ज्योति भोरसारे, कमलेश अतिरकर, छगनलाल बर्वे सहित बड़ी संख्या में परिसर के नागरिक उपस्थित थे।

वास्तु अनुसार इन चीजों को तुरंत घर से निकाल देने में ही है भलाई नहीं तो कभी नहीं हो सकती तरक्की


घर में कभी भी टूटे-फूटे सामान और बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। कहते हैं इन बर्तनों में खाना खाने से दरिद्रता आती है।

वास्तु शास्त्र में जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। कहते हैं इन उपायों को अपनाने से जीवन के कष्टों का निवारण हो जाता है। लेकिन लोग उपायों पर तो ध्यान दे लेते हैं मगर उन गलतियों पर ध्यान नहीं देते जिनकी वजह से परेशानियाँ और भी अधिक बढ़ जाती हैं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनके घर में होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ये चीजें घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान न दिया जाए तो किसी भी तरह के उपाय करने से कोई लाभ नहीं मिलता।

वास्तु अनुसार अगर घर में कबूतर का घोंसला बना हुआ है तो ऐसे में उस घर के सदस्य कभी तरक्की नहीं कर सकते। ऐसे में अपने घर में कबूतर का घोंसला न बनने दें। क्योंकि इससे आर्थिक तरक्की में रुकावट आती है। बहुत से लोगों को घर में

पेड़-पौधे लगाने का शौक होता है लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं देते कि कौन सा पौधा लगाना शुभ रहेगा और कौन सा अशुभा लोग अपनी पसंद का कोई भी पौधा लगा देते हैं। लेकिन वास्तु अनुसार घर में पौधा लगाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर में कभी भी कांटेदार और ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनसे दूध जैसा द्रव्य निकल रहा है घर में कभी भी टूटे-फूटे सामान और बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। कहते हैं इन बर्तनों में खाना खाने से दरिद्रता आती है। वास्तु अनुसार टूटे हुए बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। जिससे घर-परिवार के लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन बर्तनों को तुरंत घर से निकाल दें। अगर स्टील का बर्तन थोड़ा सा भी चटक गया है तब भी उसे घर में न रखें।

अक्सर लोग अपने घर के मेनगेट पर जूते-चप्पल उतारते हैं। जिससे वहाँ जूते-चप्पलों का ढेर लग जाता है। वास्तु के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल गलत माना गया है। घर के दरवाजे को हमेशा साफ रखना चाहिए। क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घर में ही आगमन करती हैं जहाँ साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में कभी भी टूटी हुए चप्पल और जूते न रखें। इससे भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तु अनुसार घर में कभी भी बंद या खराब घड़ी या फिर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर-परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। अगर आपके घर में ऐसी चीजें पड़ी हैं तो उसे तुरंत निकाल दें। घर में कभी भी दो झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर-परिवार के सदस्यों में कलह का माहौल बना रहता है। जिससे किसी की भी तरक्की नहीं हो पाती। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू भी इस्तेमाल न करें। इससे धन हानि होने की संभावना रहती है।



वास्तु शास्त्र

जिलाधिकारी के आदेश पर न्यू बालाजी नर्सिंग होम की पुनर्बहाली

डॉ बाजपेई ने पुष्पगुच्छ देकर व्यक्त किया आभार

बुलंद गोंदिया - रामनगर स्थित न्यू बालाजी नर्सिंग होम के पंजियन की पुनर्बहाली गोंदिया जिले के जिलाधिकारी के आदेश के तहत की गई है। इस संबंध में मुख्य घटनाक्रम यह है कि कोविड-१९ संक्रमण काल के दौरान कोरोना पीड़ितों की चिकित्सा करने के परिणाम स्वरूप न्यू बालाजी नर्सिंग होम का पंजियन बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया गया था। इस संबंध में नर्सिंग होम के संचालक डॉ. नितेश बाजपेई ने बतलाया कि उनके चिकित्सालय का लाइसेंस रद्द करना पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित एक तरफा कार्रवाई थी। इसकी सूचना डॉ. बाजपेई ने स्थानीय जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य उच्चाधिकारियों से की थी। उन्होंने आगे बताया कि



गोंदिया जिले के जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता पूर्वक जांच की तथा जिले के सिविल सर्जन को न्यू बालाजी नर्सिंग होम के पंजियन की पुनर्बहाल करने के आदेश दिए। जिसके परिणाम स्वरूप नर्सिंग होम की पुनर्बहाली कर दी गई है। डॉ. नितेश बाजपेई ने बतलाया

क्रांतिरत्न महाग्रंथ एक साथ १३१ स्थानों पर प्रकाशित

उन्नीसवीं सदी में जगाने वाले दम्पति म.ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत, लड़कियों के लिए प्रथम विद्यालय के संस्थापक, महिला शिक्षा के संस्थापक, महान शिक्षा वैज्ञानिक, सार्वभौमिक शिक्षा के सक्रिय प्रचारक, प्रचार, बहुजनों के गौरवशाली इतिहास का पुनर्निर्माण करके छत्रपति शिवाजी का महिमामंडन, मानव दासता का विरोध, सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर देना सती, बाल कटवाने और बाल विवाह जैसे अवांछनीय मानदंडों पर रौंदकर विधवा पुनर्विवाह के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाले महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले, सार्वभौमिक मुक्ति के अग्रदूत, मानव रत्न थे, जिन्होंने सचमुच उन्नीसवीं शताब्दी को सुशोभित किया।

हमारे मित्र अपर कलेक्टर राजेश खवाले ने सोचा कि क्यों न हम महात्मा जोतिराव फुले और सावित्री फुले को उनके जीवन और कार्य पर एक हजार पृष्ठ की पुस्तक संकलित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करें। दोस्तों के रूप में, उन्होंने हमें यह विचार अतुल डोड, राहुल तायड़े, विजय लोखंडे, प्रकाश अंधारे, प्रताप वाघमारे, विनय गोसावी, अशोक गेदम को बताया। हम सभी को यह कॉन्सेप्ट पसंद आया। इस महत्वाकांक्षी अवधारणा ने सरकार को इसे लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। बहुत मेहनत के बाद क्रांतिरत्न महाग्रंथ आकार में आया है। महात्मा फुले सावित्री फुले के जीवन-कार्य-विचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर १४३ विद्वानों ने लिखा है। इस महाग्रंथ में कुल १००० पृष्ठ हैं।


महात्मा फुले, सावित्री फुले द्वारा व्यक्त विचार, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, उनका जीवन और कार्य आज तक व्यापक रूप से लिखे गए हैं। हालाँकि, क्रांतिरत्न महाग्रंथ की विशेषता यह है कि इस पुस्तक में महात्मा फुले, सावित्री फुले से संबंधित लेख कई पहलुओं का अध्ययन करके लिखे गए हैं जिनका अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। इनमें मुख्य रूप से चावक और एम. फूल, एम. फुले और बुद्ध के दर्शन, म. फुले की भाषाई शैली, म.फुले की जनसंचार शैली, विदेशी विद्वानों द्वारा म.फुले के कार्यों का रिकॉर्ड, राष्ट्रसंत टुकडोजी की ग्राम गीता और म.फुले के विचार, संत साहित्य में म. फुले की भूमिका अंधविश्वास विरोधी आंदोलन, म.फुले से जुड़े वास्तु, फुले दंपति का बाल संरक्षण कार्य, म.फुले और श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़, म.फुले और छत्रपति शाहू महाराज, म.फुले की विचारधारा परिवर्तन, म.फुले की कला दृष्टि, म.फुले की सार्वजनिक बोलने की शैली, म.फुले की मानवतावाद, म.फुले और किसान आंदोलन, म.फुले के काव्य संसाधन, उनकी एकात्म कविता, सत्यशोधक समाज और राष्ट्र अवधारणा, फुलेवाद : पूर्व-मार्क्सवादी भारतीय समाजवाद, म.फूल धर्म पर उनके विचार, फुलेवाद के इतिहास में नई प्रवृत्तियाँ, म. फुले का सत्य की खोज करने वाले जल पर प्रभाव, म. फुले और इस्लाम, म.फुले का सार्वभौमिकरण और प्रारंभिक शिक्षा, विदर्म में सत्य की तलाश करने वाले जल और वाटरवर्क्स, क्रांति का दर्शन, गोविंदराव फुले और पेशवा काल, ज्योतिराव फुले राजर्षि शाहू महाराज और डॉ. अम्बेडकर की शैक्षिक विचारधारा की एकता, श्रमिकों का ज्ञान, म.फुले गुलामी में संस्कृति संघर्ष की

कि वे जिले की कलेक्टर श्रीमती नयना गुंडे के प्रति अत्यंत आभारी हैं कि जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए, बिना विलंब किए, नर्सिंग होम की पुनर्बहाली करने का आदेश दिया है। डॉ. नितेश बाजपेई ने बतलाया कि कोविड-१९ संक्रमण काल के दौरान जिन व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़ गए हैं उनके परिवार की गर्भवती महिलाओं एवं सभी बीपीएल धारक महिलाओं की नियमित जांच तथा प्रसव पूरा होने तक की पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था उनका नर्सिंग होम निःशुल्क करेगा। इस अवसर पर बालाजी नर्सिंग होम की नीलू राउत, गोपेश बाजपेई व निशा साधेपाचे भी उपस्थित थीं। जिलाधिकारी मैडम ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी व जरूरत मंदों के निःशुल्क इलाज के कार्यक्रम बाबद बालाजी टीम का मनोबल बढ़ाया।

व्याख्या, म.फुले और भालेकर, म.फुले के निबंधों में नारीवादी सोच, फुलेवादी नैतिकता, म.फुले का इतिहास, म.फुले की कृतियों को किसने रचा?, उनकी कविता, डॉ. यशवंत के काम में ऐसे लेख शामिल हैं। शोध, विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इस पुस्तक के लिए शोध पत्र लिखे गए हैं।

लेख महाराष्ट्र के विचारकों और लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। क्रांतिरत्न ग्रंथ २८ नवंबर को १३१ स्थानों से एक साथ प्रकाशित होने की योजना है।

क्रांतिरत्न की मूल अवधारणा राजेश खवाले से प्रेरित है। पुष्पा तायड़े क्रांतिरत्न की प्रधान संपादक हैं। डॉ. सतीश पावड़े, डॉ. चंद्रकांत सरदार, सतीश जमोदकर, डॉ. दीपक सूर्यवंशी और प्रकाश अंधारे ने सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। इस पुस्तक के निर्माण में अनेक गणमान्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु राज्य के सेवानिवृत्त प्रधान सचिव विश्वनाथ शंगावकर और सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर अशोक गेडाम मुख्य मार्गदर्शक हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रकाशन के वर्षा राजू चिमनकर ने क्रांतिरत्न महाग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ग्रंथ निर्माण करने वाले दल का मानना है कि यह पुस्तक महात्मा फुले और सावित्री फुले के जीवन के नए पहलुओं को जानने में मदद करेगी। क्रांतिरत्न महाग्रंथ महात्मा ज्योतिराव फुले को एक महान श्रद्धांजलि होगी।



कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के लिए करें समिति का गठन

बुलंद गोंदिया - कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न प्रतिबंधक कानून २०१३ के अनुसार जिन स्थानों पर १० अथवा १० अधिक कर्मचारी अधिकारी का समावेश है। ऐसे प्रत्येक कार्य स्थलों पर शिकायत निवारण समिति का गठन करने साथ ही महिला व बाल कल्याण विभाग के १९ जून २०१४ के शासन निर्णय अनुसार महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए प्रत्येक शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडल, स्थापना संस्था शाखा जिनकी शासन द्वारा स्थापना की गई ऐसे तथा स्थानीय प्राधिकरण, शासकीय कंपनी, नगर परिषद, सहकारी संस्था साथ ही किसी भी प्रकार की निजी क्षेत्र संघटना, इंटरप्राइजेज, अशासकीय संघटना, सांसायटी, ट्रस्ट, उत्पादन, आपूर्ति वितरण व विक्री बिक्री के साथ ही वाणिज्य व्यवसाय शैक्षणिक करमणूक औद्योगिक स्वास्थ्य वित्तीय कार्य करने वाली संस्थान चिकित्सालय, क्रीडा संस्था, क्रीडा संकुल आदि

स्थानों पर शासन के नियमानुसार शिकायत निवारण समिति का गठन करना आवश्यक है। यदि अधिनियम की धारा २६ के अंतर्गत यदि शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं किया गया तथा अधिनियम धारा १३, १४, २२ के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई उसी प्रकार कानून व नियमों का जवाबदारी से पालन न किए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक को ५०००० तक का जुर्माना होने के साथ ही इसी प्रकार का मामला दोबारा होने पर लाइसेंस रद्द व दुगना दंड आदि वसूल किया जा सकेगा।

समाचार के प्रकाशित होने के ७ दिनों के अंदर शिकायत निवारण समिति का गठन कर इसका व जिला महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय नई प्रशासकीय इमारत तीसरी मंजिल कक्ष क्रमांक ३६ जयस्तंभ चौक गोंदिया में पेश किया जाए अथवा विभाग की मेल आईडी पर भेजने का आह्वान जिला महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पोनिकर द्वारा किया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक के लिंक फेल ग्राहकों को हुई परेशानी

बुलंद गोंदिया - गोंदिया पंजाब नेशनल बैंक कि दोनों शाखाओं की बुधवार १ दिसंबर की दोपहर २.०० बजे के दौरान लिंक फेल हो जाने से बैंकिंग कार्य ठप हो गया जिससे बैंक में आने वाले ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा प्राप्त जानकारी के अनुसार नामपुर डिवीजन वह दुर्ग डिवीजन के अंतर्गत आने वाली अनेक पंजाब नेशनल बैंक के शाखाओं का कार्य बैंक सरवर के



माध्यम से चलता है जिनमें बैंक सर्विस डाउन हो जाने से इस क्षेत्र की अधिकांश शाखाओं की लिंक फेल हो गई जिससे सभी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को परेशानियाँ होने के साथ ही करोड़ों रुपए का आर्थिक व्यवहार बाधित हुआ है साथ ही उपरोक्त सरवर की लिंक फेल हो जाने से पंजाब नेशनल बैंक के सभी एटीएम भी बंद हो गए जिससे एटीएम से भी ग्राहक पैसा नहीं निकाल पाए।

साप्ताहिक राशिफल

मेघ : कार्यक्षेत्र पर मिलनसार और सौहार्दपूर्ण वातावरण के चलते अच्छा करने को प्रेरित होंगे। धन संबंधित मामलों के लिए समय अनुकूल चल रहा है, जल्द ही कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। अपनी पसंदीदा चीजों पर खर्चा करना संतोषजनक साबित होगा। घर के कामों में मदद करने के आपके रचभाव की सभी तारीफ करेंगे। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अधिकांश शारीरिक बीमारियों को दूर रखने में मददगार साबित होगा।

बुध : पढ़ाई में दूसरों से आगे निकलने के लिए देर रात मेहनत करने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र पर अपने अधिकारों को बांटना काम करने का सही तरीका साबित होगा जिसके चलते आप पर काम का बोझ कुछ कम होगा। प्रोफेशनली अपने काम को लेकर सतर्क रहें और कोई भी गलती न छोड़ें। इस सप्ताह खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। शेयर मार्केट में खोया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। सरप्राइज गिफ्ट और कैडल लाइट डिन्नर से अपने साथी को प्रभावित करेंगे।

मिथुन : काम को लेकर आपके सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के चलते किसी महत्वपूर्ण कार्य के अच्छी तरह से पूरा होने की संभावना है। किसी खानदानी विरासत के मिलने में समय लग सकता है, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा कठिन चल रहा है। अपने साथी के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करें। नवविवाहित जोड़े एक-दूसरे के साथ समय बिताने पर अच्छा महसूस करेंगे। यात्राओं के योग बन रहे हैं। मनपसंद जगह घूमने का मौका मिल सकता है।

कर्क : इस हफ्ते चाहे कोई आपके साथ कितना ही गलत कर ले, पर आप उसे माफ करने के मूड में रहेंगे। समाज में आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सभी सराहना करेंगे जिसके चलते आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और पहचान मिलेगी। सैलरी में बढ़ोतरी के आपके अनुरोध को सहानुभूति के सुना जा सकता है। किसी को उधार दिया हुआ पैसा तुरंत वापस मिल जाएगा। पुराने दोस्तों से मिलकर और पुरानी यादें ताजा होंगी।

सिंह : कार्यक्षेत्र पर कोई आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा कर सकता है। विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति से विदेश जाकर मिलने की इच्छा जल्दी ही पूरी होने की संभावना है। इस सप्ताह आप में से कुछ लोग प्रोफेशनली खुद को बेहियों में जकड़ा हुआ और असहाय महसूस कर सकते हैं, जो निराशाजनक साबित हो सकता है। किसी लोन को पास करने में आ रही समस्याओं के चलते लोन का विचार छोड़ने की सोच सकते हैं। इस हफ्ते व्यवसाय करने वाले लोगों को विवेकपूर्ण तरीकों से खर्च करने की आवश्यकता है।

कन्या : प्रोफेशनल और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग अतिरिक्त कार्यभार को कुशलता से पूरा करने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगे। किसी सामाजिक काम के लिए पैसों का इंतजाम करने में मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रांटी के किसी विवाद के चलते भाई-बहनों के खिलाफ खड़ा होने की संभावना है, इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते ही इस समस्या का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान ढूँढने की कोशिश करें।

तुला : धन संबंधित मामलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इस सप्ताह धन संबंधित चली आ रही समस्या को सुलझाने के लिए समय देने की आवश्यकता होगी। माता-पिता या बुजुर्ग आप पर किसी ऐसे काम को करने का दबाव बना सकते हैं जिसे आप सहमत नहीं होंगे। थकान के चलते उसकी महसूस कर सकते हैं। आपका साथी इस सप्ताह कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं, इसलिए उसकी भावनाओं का सम्मान करें। पढ़ाई में आपसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।

वृश्चिक : अपने उत्कृष्ट बातचीत कौशल के चलते इस सप्ताह हर किसी को प्रभावित करने में सफल होंगे। पिछले किए गए किसी निवेश के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं। शहर से बाहर परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाना मजेदार साबित होगा। कुछ खास हासिल करने का लक्ष्य रखने वालों को कोई नहीं रोक सकता। रोमांस के लिए ये सप्ताह संतोषजनक साबित होगा। अपने साथी के कैडल लाइट डिन्नर पर जाकर रोमांचित महसूस करेंगे।

धनु : शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय चल रहा है। कोई ऑफिस में आपके कार्यभार को साझा करने की पेशकश कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल चल रहा है, अपने साथी के साथ समय बिताना और गिफ्ट देना संतोषजनक साबित होगा। विदेश यात्रा पर जाना मजेदार साबित होगा। रिचल स्टेट से जुड़े लोग किसी अच्छी डील को करने में कामयाब होंगे। घर पर कुछ बदलावों के करने के आपके सुझाव का सभी लोग स्वागत करेंगे।

मकर : रोहत से जुड़ी किसी समस्या में धरलू उपचार अपनाना फायदेमंद साबित होगा। इस सप्ताह समाज में आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ सकती है। करियर के लिए यह सप्ताह काफी उत्कृष्ट साबित होगा। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। एक-दूसरे के साथ समय बिताने से साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। इस सप्ताह आपके शुभचिंतक आपका सहयोग करेंगे।

कुंभ : प्रोफेशनली ये सप्ताह आपके लिए उत्कृष्ट साबित होगा। धनलाभ के योग बन रहे हैं। कुछ समय पहले शुरू किए गए किसी व्यवसाय से लाभ मिलने की संभावना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति का सही मार्गदर्शन करने में सफल होंगे, जो आप पर पूरा विश्वास कर रहा है। किसी पार्टी या समारोह के निमंत्रण से आपको लोगों से मिलने और अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

मीन : कार्यक्षेत्र पर किसी मुश्किल समस्या का समाधान करने से आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। यात्राओं से अच्छा व्यापार मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आर्थिक रूप से आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। घर का माहौल शांत और खुशनुमा रहेगा। दोस्तों और करीबियों के आपके घर आने से घर की रौनक

बोगस दस्तावेजों के आधार पर अवैध कब्जा

गजानन महाराज शिक्षा व कला संस्था का मामला : क्लर्क व मुख्य अध्यापक की मिलीभगत



शिक्षा विभाग की अनदेखी संस्था के अध्यक्ष और सचिव द्वारा दी आमरण अनशन की चेतावनी

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम घाटटेमनी की गजानन महाराज शिक्षा व कला संस्था पर संस्था में कार्यरत क्लर्क महेन्द्र सखाराम देशमुख व मुख्य अध्यापक झनकलाल आसाराम रहांगडाले ने जालसाजी करते हुए संस्था के अध्यक्ष व सचिव के बोगस हस्ताक्षर के आधार पर दस्तावेजों में हेराफेरी कर संस्था पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संदर्भ में चैरिटी कमिश्नर में शिकायत दर्ज की

गई थी, जहां चैरिटी कमिश्नर द्वारा बोगस दस्तावेजों को रद्द कर कार्रवाई करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया गया। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते संस्था के अध्यक्ष व सचिव द्वारा 8 दिसंबर को आयोजित पत्र परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि यदि जल्द ही प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई तो 24 जनवरी से शिक्षा विभाग कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन कर आंदोलन किया जाएगा।

आयोजित पत्र परिषद में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि घाटटेमनी स्थित गजानन महाराज शिक्षा व कला संस्था रजिस्टर्ड नंबर 2८४/९२ के अध्यक्ष सेवक राम मारोती डोये व सचिव धनीराम

किसन डोये के नाम के बोगस हस्ताक्षर व संस्था के सील सिक्कों का दुरुपयोग करते हुए संस्था के क्लर्क महेन्द्र देशमुख व मुख्यध्यापक झनकलाल रहांगडाले ने आपसी साठगाठ करते हुए कब्जा कर शासन के साथ धोखाधड़ी करने के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक आमगांव शाखा में हस्ताक्षर बदलकर प्रतिमाह संस्था का अनुदान व शिक्षकों का वेतन उठा रहे हैं। इस संदर्भ में फरियादी द्वारा चैरिटी कमिश्नर विभाग में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जहां मामले की सुनवाई कर 90 नवंबर 2020 को फर्जी दस्तावेज के आधार पर पेश चेंज रिपोर्ट को रद्द कर शिक्षणाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। लेकिन 9 वर्ष से अधिक समय हो जाने के बावजूद भी शिक्षण अधिकारी व संबंधित विभाग तथा बैंक द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई तथा फरियादी को न्याय नहीं दिया

गया तथा अब तक जालसाजों के खिलाफ शिक्षण अधिकारी द्वारा पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई गई है। जबकि उनके खिलाफ सभी प्रकार के दस्तावेजों के साथ अनेकों बार निवेदन भी दिया गया है। यदि एक माह के अंदर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो 24 जनवरी 2022 से शिक्षा विभाग जि.प. के सामने आमरण अनशन शुरू कर आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही इस संदर्भ में जिलाधिकारी गोंदिया, जिला पुलिस अधीक्षक, शिक्षण अधिकारी, पुलिस निरीक्षक आमगांव, शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र, वेतन पथक कार्यालय तथा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमगांव को भी संपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रतिलिपि दी गई है। आयोजित पत्र परिषद में संस्था के अध्यक्ष सेवकराम मारोती डोये, सचिव धनीराम डोये सदस्य रविन्द्र मिश्रा व हर्ष फाल्के तथा जयेश पोगोड़े उपस्थित थे।

नारे तकबीर की गूंज के साथ मनाया गया मस्जिद-ए-गौसिया रजविया में समारोह

डॉ.साजिद हर सप्ताह लेंगे निशुल्क जाँच शिविर

बुलंद आमगांव - ग्राम पदमपुर में औलादे गोसे आजम सैयद अब्दाल अल हसनी हुसैनी की इफतेदा अध्यक्षता में नमाजे मगरीब अदा की गई और मुकरी रे खुसूसी मुफती फैज अहमद रिजवी ने बयान फरमाया जिसमें इस्लाम के अखलाक और किरदार के बारे में पैगाम देने का काम किया गया।



कार्यक्रम का आगाज करी मोहम्मद जलालुद्दीन ने मस्जिद में खूबसूरत आवाज में पहली अजान दी और कुरान की तिलावत से शुरू किया गया और तमाम मस्जिदों के इमाम स्टेज पर मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉ.साजिद खान द्वारा पदमपुर मस्जिद गौसिया रजविया में हफ्ते में एक दिन सभी जनरल ओपीडी चेकअप व जरूरतमंदों के लिए मेडिसीन निशुल्क माहिया कराया जाएगा। बच्चों के लिए एजुकेशन और लाइब्रेरी की सहूलियत कराया जाएगा और सैयद अब्दुल अल हसनी हुसैनी साहब ने शहर की अमन वह शांति के लिए दुआ की। इसी प्रकार हजरत से सभी धर्म के लोगों को मिलने का अवसर दिया गया और रुकने का इंतजाम डॉ. साजिद खान के घर पर किया गया। मस्जिद के कार्य को कम समय में अपनी मेहनत के बलबूते पर तैयार किए जाने पर शिवाजी फसाते हजरत द्वारा सत्कार किया गया। खिदमत गुप के तमाम सदस्यों ने भरपूर अपना सहयोग प्रदान

किया। हजरत द्वारा इनका इस्तकबाल कराया गया। प्रोग्राम के संयोजक मुस्ताक शेख सदर जामा मस्जिद आमगांव, डॉ. साजिद खान, हाजी अमीन खान, रिजवान भोरा, रुस्तम खान, सैयद असलम अली, बाबा गनी खान, सल्लू तिगाला, अमीन तिगाला, मिर्जा तालिब बैग, अहमद मनिहार, हामिद हुसैन नागपुर, हाजी जाहिद हुसैन बालाघाट, शादाब हुसैन बिलासपुर, दानिश खान भिलाई, मसूद कुरैशी अर्जुनी, इकबाल सिद्दीकी, इकबाल मोहाल, हनीफ घांची, बाल प्रसाद दुबे, विजय अग्रवाल, शंकर शंडे, पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रभाकर वराडे, मुन्ना शिंदे, देवेन्द्र मच्छिंकरे, अजय खेतान, संतोष दुबे, धीरेशभाई पटेल, संतोष अग्रवाल, संतोष शर्मा, गुड्डा गहरवार, रवि शिरसागर, संदीप सेठिया, रवि नागदेव, यंग मुस्लिम विकास कमेटी, खिदमत गुप, जामा मस्जिद कमेटी, व शहर के तमाम लोगों के बीच अमन और शांति के साथ व कोविड-१९ की प्रक्रिया के तहत कार्यक्रम को अंजाम दिया गया।

१०८ नागरिकों को लगवाया कोरोना टीकाकरण कैंप आयोजित कर मुस्लिम समाज ने दिया देश हित का संदेश

बुलंद संवाददाता देवरी - देवरी के मस्जिद मदरसा समिति द्वारा मस्जिद के समीप सेलोकर कॉम्प्लेक्स में कोविड-१९ टीकाकरण कैंप का आयोजन कर सभी समाज के १०८ नागरिकों को टीका लगाया गया। मुस्लिम समाज ने कैंप आयोजित कर देश हित का संदेश दिया। टीकाकरण अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की नम्रता कावड़े, खेड़कर मैडम, डोमने मैडम, खेमराज लांडे सहित मस्जिद समिति के सदर जुनैद खान, जुबीन खान, सिराज अहमद, माजिद खान, इमरान खान, देवेन्द्र सेलोकर, उम्मेद खान, रज्जाक खान, अल्फेज खान, जावेद खान आदि ने सहयोग किया। इस दौरान मस्जिद समिति द्वारा मास्क तथा चाय-पानी की निशुल्क व्यवस्था की गई थी। उपरोक्त टीकाकरण अभियान आगामी ८ दिसंबर को पुनः आयोजित किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर देश हित में सहयोग करने का आवाहन मस्जिद समिति देवरी द्वारा किया गया है।

महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबासाहब को अभिवादन



बुलंद आमगांव - भारतीय संविधान के निर्माता विश्वरत्न डॉ.बाबासाहब भिमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर स्थानीय डॉ. बाबासाहब प्रतिमा के समक्ष आमगांव तहसील पत्रकार संघ के अध्यक्ष इसुलाल भालेकर ने दिप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस अवसर पर पत्रकार सुनिल क्षीरसागर, प्रमोदकुमार कटकवार, पत्रकार महेश मेश्राम, अरविंद चुटे, हंसराज लक्षणे आदि उपस्थित थे।



हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ बुलंद गोंदिया के संपादक नवीन अग्रवाल चर्चा करते हुए..

सबकों मौका दिया बार-बार, चाबी को मौका दो एक बार - विधायक विनोद अग्रवाल

८ जिप व १६ पंस

उम्मीदवारों की सूची जारी

बुलंद गोंदिया - गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल के राजनीतिक संगठन जनता की पार्टी के चाबी चुनाव चिन्ह के साथ आगामी २१ दिसंबर को होने जा रहे जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव हेतु गोंदिया तहसील के १४ जिप हेतु ८ एवं २८ पंस हेतु १६ उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है।

गौरतलब है कि, विधायक विनोद अग्रवाल वर्ष २०१९ में चाबी चुनाव चिन्ह के साथ निर्दलीय रूप में जनता के आशीर्वाद, सहयोग एवं विश्वास से भारी मतों से विजयी हुए थे। गोंदिया के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब कोई निर्दलीय उम्मीदवार विधायक बना था। दो साल के कार्यकाल में अनगिनत विकास कार्य किये हैं। उनके कार्यों की शैली से जनता हर्षित है व संतुष्ट भी। उनकी कार्यशैली को देखकर पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में अधिक ग्रांप सदस्य निर्वाचित हुए, वहीं अनेक ग्रामों

में सरपंच बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ।

आगामी २१ दिसंबर को संपन्न होने जा रहे जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव हेतु विधायक विनोद अग्रवाल ने गोंदिया तहसील की १४ जिप व पंस की २८ सीटों पर उनकी राजनीतिक पार्टी जनता की पार्टी के चाबी चुनाव चिन्ह से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर जनता की पार्टी ने अपनी ८ जिप व १६ पंस के उम्मीदवारों के साथ पहली सूची जारी कर दी है।

विधायक अग्रवाल ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए जनता से अपील की है कि सबको मौका दिया बार-बार, चाबी को मौका दें एकबारा उन्होंने कहा, ये चुनाव आगाज है बदलाव का, क्षेत्र के विकास का। जो विश्वास मुझ पर किया, वही विश्वास कायम रखते हुए जनता की पार्टी के उम्मीदवारों को आगामी जिप, पंस चुनाव में भरपूर सहयोग, आशीर्वाद व मताधिकार का उपयोग कर विजयीश्री दिलाये। मैं विश्वास दिलाता

हूँ, हमारे क्षेत्र का विकासरथ चौगुनी रफ्तार से दौड़ेगा।

पहली सूची में जिप उम्मीदवारों में बिरसोला श्यामलाल जीतलाल पाचे, पांजरा कु. वैशाली भाऊलाल पंधरे, काटी कु अनंदा जियालाल वाड़ीवा, धापेवाड़ा घनश्याम सैयाम, नागरा टिट्टाल लिल्लारे, पिंडकेपार दीपा सुधीर चन्द्रिकापुरे, कुड़वा कमल फरदे, खमारी ममता शंकर वाड़वे तथा पंस के लिये बिरसोला रमेश लखनलाल नागफासे, पांजरा जितेंद्र जगलाल कुंजाम, काटी जितेश्वरी राजेन्द्र रहांगडाले, दासगाव खुरद मंजू चित्रसेन डोंगरे, नवेगांव हीरामन डहाट, धापेवाड़ा मधुकर रहांगडाले, धिवारी राजू धनलाल कटरे, गर्ग खुरद वेनुबाई नीलकंठ गावड, नागरा पुष्पा राजकुमार डेकवार, डोंगरांव विद्याकला गोविंद पटले, पिंडकेपार शैलजा कमलेश सोनवाने, कुड़वा लीमंदा बिसेन, कटंगी कला संजु बड़वाईक, खमारी कनीराम तवाड़े, तुमखेड़ा खुरद मुनेश रहांगडाले, कारंजा मिताराम हरड़े को उम्मीदवारी सौंपी गयी है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों को करें विजयी

हम करेंगे मोहाड़ी का कायापलट - सांसद पटेल

बुलंद गोंदिया - भंडारा जिले की तुमसर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस सम्मेलन ४ दिसंबर को वंजरी लान में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में सांसद प्रफुल पटेल व प्रमुख अतिथि के रूप में मंत्री नवाब मलिक

करें। हम मोहाड़ी तहसील का विकास कर कायापलट करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्षेत्र में हमने बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो स्वास्थ्य का विषय, किसानों की समस्याएं आदि हल करने का प्रमाणिक रूप से प्रयत्न कर उसे हल करने का कार्य किया है। जिससे हमें हमें सफलता मिली है तथा आगे भी राष्ट्रवादी पक्ष सदैव जनता के



कार्यों को प्राथमिकता देना। इस अवसर पर नवाब मलिक ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों का निर्णय ले रही है तथा विरोधी जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। पक्ष के कार्यकर्ता उनके जुमलेबाजी में न पड़ते हुए उसका प्रयुत्तर दें। कार्यक्रम का संचालन विजय पारधी, प्रस्ताविक सदाशिव डेंगे व आभार, राजेंद्र मेहर ने माना। इस अवसर पर शरदचंद्र पवार व प्रफुल पटेल के नेतृत्व पर विश्वास कर भाजपा के सुभाष गायधने, कांग्रेस तहसील महिला अध्यक्ष वर्षा बारई व कान्द्री के भाजपा की स्वर्णा कठवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया।

डॉ.ब्राम्हणकर ने किया गर्भवती के पेनक्रियाज कैंसर का सफल ऑपरेशन



महिला ने दिया स्वस्थ शिशु को जन्म

बुलंद गोंदिया - मरीजों की जटिल स्थिति होने पर डॉक्टर द्वारा जोखिम भरा निर्णय अधिकांशतः नहीं लिया जाता। किंतु गोंदिया के सर्जन डॉ. नोव्हिल ब्राम्हणकर ने ऐसी कठिन चुनौतियों को स्वीकार कर जटिल ऑपरेशन करते हुए मरीजों की जान बचाने का कार्य अनेकों बार किया है। इसी प्रकार के एक मामले में एक ३ माह की गर्भवती महिला जिसके पेट में पेनक्रियाज कैंसर का गोला था, की शल्यक्रिया कर जच्चा बच्चा दोनों जान बचायी।

गर्भपात पश्चात ही की जा सकने वाली शल्यक्रिया कठिन चुनौती को स्वीकार कर जुलाई माह में महिला मरीज व उसके परिवार की सहमति से सफल शल्यक्रिया कर पेनक्रियाज कैंसर के गोले को निकाला गया। शल्यक्रिया के पश्चात माता व गर्भ में पलने वाला शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ था। गर्भकाल दौरान निरंतर डॉ. ब्राम्हणकर निगरानी रख रहे थे। इसी परिणाम स्वरूप ४ दिसंबर को तिरौड़ा तहसील के ग्राम गराडा निवासी २४ वर्षीय रसीला दिनेश मेश्राम ने स्वस्थ बालक को नॉर्मल प्रसूति से जन्म दिया। उल्लेखनीय है कि पेनक्रियाज कैंसर के गोले का सफल ऑपरेशन किए जाने का समाचार बुलंद गोंदिया में भी प्रकाशित किया गया था। उस समय जानकारी दी गई थी कि ब्राम्हणकर

हॉस्पिटल के संचालक डॉ. नोव्हिल ब्राम्हणकर द्वारा गोंदिया शहर में कुछ वर्षों से अनेक जटिल शल्यक्रिया कर मरीजों को जीवनदान देने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडिकल

रिकॉर्ड के इतिहास में पूरे विश्व में अब तक इस प्रकार के कुल २६ ऑपरेशन किए गए हैं। जिसमें गोंदिया में यह पहला ऑपरेशन है। शरीर में पेनक्रियाज एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि गर्भ के दौरान इस प्रकार की समस्या सामने आती है तो गर्भपात करने के पश्चात ही शल्यक्रिया की जा सकती है अथवा प्रसूति के पश्चात। किंतु इस दौरान कैंसर का प्रमाण शरीर में फैलने के साथ ही गर्भवती माता व बच्चे के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगता है। लेकिन गर्भ को बचाते हुए पेनक्रियाज कैंसर का गोला निकालने का यह मामला मेडिकल इतिहास में अब तक २६ बार ही किया गया है। जिसमें गोंदिया शहर के डॉ. नोव्हिल ब्राम्हणकर द्वारा इस प्रकार की शल्यक्रिया कर विशेष सफलता प्राप्त की है।

मुझे व मेरे बच्चे को दिया जीवनदान

गर्भवती होने के पश्चात जांच में पेनक्रियाज कैंसर के गोले का मामला

सामने आने पर डॉ. ब्राम्हणकर से जांच करवाई गई थी। इसके पश्चात आगे के उपचार के लिए नागपुर गए। जहां चिकित्सकों द्वारा गर्भपात के पश्चात ऑपरेशन करने तथा ऑपरेशन में अधिक खर्च होने की जानकारी दी। जिसके बाद वापस डॉ. ब्राम्हणकर के पास आकर इलाज शुरू करवाया। जहां डॉक्टर साहब द्वारा ऑपरेशन में लगने वाले खर्च की समस्या का हल कर महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत शल्यक्रिया करते हुए सफलतापूर्वक कैंसर के गोले को बाहर निकाला व मेरे गर्भ को बचाया। जिससे आज मुझे व मेरे बच्चे को डॉ. ब्राम्हणकर द्वारा नया जीवन मिला।

- रसीला दिनेश मेश्राम, गराडा तिरौड़ा

लिया जोखिम भरा निर्णय मिली सफलता

गर्भ के दौरान पेनक्रियाज कैंसर का गोला होने पर एक गंभीर समस्या सामने आती है। लेकिन इस मामले में जोखिम भरा निर्णय लेते हुए महिला व उसके परिवार की सहमति के पश्चात सफल शल्यक्रिया कर पेनक्रियाज के गोले को निकालते हुए गर्भ को भी सुरक्षित रखा गया था। जिसके चलते महिला ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया है। अब माता व बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है।

-डॉ. नोव्हिल ब्राम्हणकर, संचालक, ब्राम्हणकर हॉस्पिटल गोंदिया

आवश्यकता है

गोशाला में गो-सेवा के कार्य करने हेतु अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। रहने व खाने की व्यवस्था के साथ ही योग्यतानुसार वेतन दिया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें।

बुलंद गोंदिया कार्यालय, जगन्नाथ मंदिर के पास, गोशाला वार्ड, गोंदिया मो. 9405244668, 7670079009। समय : दोप. 12 से संध्या 5 बजे तक